ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी : रतनू

■ ट्रांसजेण्डर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण पर हुई कार्यशाला

ट्रांसजेण्डर समूह के व्यक्तियों की कार्यशाला को संबोधित करते महानिरीक्षक पुलिस राजेश मीना।

उदयपुर, (कासं)। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राईट्स एवं एएचटी राजस्थान जयपुर के दिशा-निर्देशानुसार एवं राजस्थान पुलिस द्वारा राज्य व्यापी ऑपरेशन स्माईल के तहत महानिरीक्षक पुलिस राजेश मीना उदयपुर रेंज के निर्देशानुसार उदयपुर रेंज पुलिस एवं यूनिसेफ राजस्थान के तत्वावधान में ट्रांसजेण्डर समुह के व्यक्तियों की रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को विद्या भवन ऑडिटोरियम फतहपुरा उदयपुर में किया गया।

कार्यशाला में ट्रांसजेण्डर समुह के व्यक्तियों की शिकायत निवारण हेतु थाना स्तर पर मनोनीत पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने एवं ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों को संबंधित कानून की जानकारी देकर जागरूक किया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्ष रतनू ने कहा कि ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने रेंज के नामित पुलिस थानों के ट्रांसजेण्डर्स पुलिस नोडल अधिकारियों तथा संभाग के ट्रांसजेण्डर्स समुदाय के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया और पुलिस थाना स्तर पर नियुक्त नोडल पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के अध्ययन तथा उसकी अनुपालना के लिए आवश्यक निर्देश उपलब्ध कराए। उन्होने ट्रांसजेण्डर्स के अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियम की पालना के साथ ही किसी भी वंचित वर्ग के साथ किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं करने के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता को आवश्यक बताया।

प्रशिक्षण में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में नई भौर संस्थान की निदेशक पुष्पा माई द्वारा ट्रांसजेण्डर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के लिए निर्धारित नियमों तथा व्यवहार के बारे में सुझाव उपलब्ध कराए। उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों से ट्रांसजेण्डर समुदाय के उत्थान के लिए किये गये प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेण्डर समुदाय को हरसंभव सुविधाएं मिले और उन्हें समाज में विशिष्ट स्थान मिले और उनके बेहतर स्वास्थ्य के साथ सुरक्षित वातावरण मिले इसके लिए हम सतत प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों को ट्रांसजेण्डर से जुड़े प्रकरणों में पूर्ण संवेदनशीलता बरतने की बात कही। चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला ने पोक्सो एक्ट की विस्तार से जानकारी दी और ट्रांसजेण्डर वर्ग के लिए कार्य कर रहे पुलिस अधिकारियों को निर्धारित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रांसजेण्डर वर्ग से आह्वान भी किया कि आपकों यदि कोई भी समस्या या परेशानी है तो आप किसी भी समय नजदीकी थाने या संबंधित पुलिस अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है, आपके प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाएगा। पुलिस उप अधीक्षक चेतना भाटी ने ट्रांसजेण्डर समुदाय को अर्द्धनारीश्वर की संज्ञा देने हुए इस वर्ग के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज में इन लोगों का विशिष्ट स्थान है और इनका संरक्षण हम सभी का दायित्व है।

समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग के परामर्शदाता अमित भट्ट ने ट्रांसजेडर के लिए रजिस्ट्रेशन की ऑनलाईन प्रक्रिया के बारे में बताया और इनके लिए विभाग की ओर से संचालित पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, स्माईल योजना, गरिमा गृह, ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड, मनोवैज्ञानिक सहायता के साथ इस वर्ग के लिए संचालित निःशुल्क व रियायती योजनाओं की जानकारी दी। गीतांजली मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक डॉ.जीतेन्द्र जीनगर द्वारा मानसिक स्वास्थ्य एवं समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य किसी भी लिंग, समुदाय के व्यक्ति के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में आता है। उन्होने पीपीटी के माध्यम से वर्तमान समय की समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए अधिकतर व्यक्ति वर्तमान समय में अवसाद की स्थिति का सामना कर रहे हैं। युनिसेफ की संभाग स्तरीय सलाहकार सिन्धु बिनुजीत ने कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और उपस्थित पुलिस अधिकारियों को महिला हेल्प डेस्क के साथ थाने पर आने वाले किसी भी लिंग /समुदाय के पीडीत व्यक्ति के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करने के लिए सुझाव दिए। कार्यशाला के दौरान खुली चर्चा के दौरान प्रतिभागियां ने ट्रांसजेडर संबंधित मामलों में आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया। कार्यशाला में सलूंबर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल, प्रतापगढ़. के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह, रेंज के सभी नोडल अधिकारियों, चाइल्ड लाइन तथा ट्रांसजेण्डर्स समुदाय के सदस्यों के साथ महानिरीक्षक पुलिस कार्यालय के राजेन्द्र सिंह व अन्य अधिकारीगण एवं पुलिसंग फॉर केयर कार्यक्रम के दिलीप सालवी, सुनील व्यास सहित 200 से ज्यादा प्रतिभागी उपस्थित थे कार्यक्रम का प्रभावी संचालन कुलदीप वर्मा ने किया।

समीक्षा बैठक ली

उदयपुर, (कासं)। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुंजीलाल मीणा ने उदयपुर प्रवास के दौरान दो दिन तक विभागीय अधिकारियों की मैराथन समीक्षा बैठक ली। इसमें मुख्यालय सहित टीएसपी जिलों के विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में नवयुक्त टीएडी आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी भी उपस्थित रहे।

एसीएस मीणा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाओं और गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन योजनाओं की क्रियान्विति पर फोकस करें, ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। श्री मीणा ने विभाग की समस्त योजनाओं की बारीकी से समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आमजन के कल्याण की योजनाओंके प्रचार प्रसार के लिए कए माह में बुकलेट तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही मीणा ने अवगत कराया कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से संबंधित जिलों के जिला कलक्टर्स को प्रति माह अर्द्धशासकीय पत्र जारी कर विभागीय योजनाओं व गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट मांगी जाएगी। साथ ही विभाग के स्वीकृत कार्यों की कार्यपूर्णता रिपोर्ट भी एक माह में तैयार करने, बजट घोषणाओं में लंबित स्वीकृतियां भी एक माह में जारी करने के लिए निर्देशित किया। एसीएस ने बकाया विधानसभा प्रश्नों के बकाया प्रति उत्तर तथा स्वच्छ परियोजना के बकाया टेण्डर भी जुलाई माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त गितेशश्री मालवीया, टीआरआई निदेशक ओपी जैन सहित सभी संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

धोखे से नकदी हड़पी, मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। सविना थाना पुलिस ने आरोपी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ धोखे से पीडित की लाखों की नकदी हडपने का प्रकरण दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित जेताराम प्रजापत पुत्र जाबलाराम निवासी मापड़ी थाना करड़ा जालोर हाल दीपज्योति मेटल इण्डस्ट्रीयल इंडियन ऑयल डिपो सेक्टर 11 ने आरोपी कंपनी मैसर्स सिद्धि फार्म मणीनरीमन जरिये जगदीश पंचाल व किरण बेन पंचाल निवासी ओल्ड एस नगर पिकी नाजी इण्डस्ट्रीयल पार्क चारी बाजी बलवाड गुजरात के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि आरोपी से मेरा व्यापारिक संबंध था। इस दौरान लेन देन के लिए आरोपी की कंपनी में 24लाख 47 हजार 295 रूपये सिक्योरिटी पेटे जमा करवाए थे। गत दिनों व्यापार में घाटा होने का हवाला देते हुए आरोपी ने काम बंद कर नकदी देने से इंकार कर दिया। इसको लेकर बातचीत करने पर 2 जुलाई को आरोपी ने धमकी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

जुलूस का विरोध

उदयपुर, (कासं)। राजसमंद जिले के कुंभलगढ दुर्ग में गुरूवार को स्थानीय लोगों व हिंदु संघर्ष समिति के सदस्यों ने दुर्ग परिसर में मोहर्रम के उपलक्ष्य में निकलने वाले जुलूस का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कुंभलगढ के बाजार पूर्ण रूप से बंद रहे।

दरअसल लोगों ने इस विरोध के लिए पुरातत्व विभाग को दोषी ठहराया। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व दुर्ग में स्थित महादेवजी के मंदिर से पुरातत्व विभाग के दो अधिकारियों ने ध्वज हटा दिया था।उसके बाद अब दुर्ग में मोहर्रम के जुलूस निकलने की जानकारी आसपास के लोगों ने अन्य लोगों को दी तो हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य वहां पर पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलुस नहीं निकलने देने की मांग की। हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों ने यह भी कहा कि अगर महादेव मंदिर से ध्वजा को हटा दिया गया तो पुरातत्व विभाग मोहर्रम पर कैसे जुलूस निकालने दे रहा है। इधर केलवाडा में भी बस स्टैंड पर पुरातत्व विभाग के खिलाफ आसपास के लोगों ने नारेबाजी करते हुए बसं स्टैंड की सभी दुकानों को बंद रखा। कुंभलगढ दुर्ग से मोहर्रम के मौके पर निकलने वाले जुलुस के विरोध में दिए जा रहे धरना स्थल पर कुंभलगढ विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड पहुंचे और उन्होंने पुरातत्व विभाग के दो अधिकारियों को नमूना बताते हुए कहा कि पुरातत्व विभाग के दो अधिकारी इस विरोध के लिए जिम्मेदार है।

जाहिर सूचना

बनाम-

1.नय्युम खान पिता मरहूम एहमद खान, निवासी-महावतवाड़ी उदयपुर (राज.)

2. सर्व साधारण एवं सम्बन्धित महाशयगण

आप विपक्षीगण को मेरे पक्षकार अय्युम खान पिता मरहूम एहमद खान निवासी-महावतवाड़ी उदयपुर (राज.) के द्वारा प्रदत्त माहिती एवं उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि

1. यह कि मेरे पक्षकार व आप क्रमांक 1 संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य का मकान नम्बर 247, जो वार्ड नम्बर 46, महावत वाडी, उदयपुर में स्थित है, जो कि शासकीय रिकार्ड में माता, श्रीमती कनीज बेगम पति मरहूम एहमद खान के नाम से दर्ज है।

2.यह कि उपरोक्त मकान का मेरे पक्षकार व आपके मध्य माता श्रीमती कनीज बेगम, द्वारा आपसी पारिवारिक व्यवस्था अनुसार पूर्व में ही मौखिक बंटवारा कर दिया था और बंटवारे अनुसार मेरे पक्षकार व आप क्रमांक 1 के द्वारा अपने-अपने हिस्से में आये, भाग को अपने व्यय से निर्माण किया जाकर उसमें निवास कर रहे है।

3. यह कि मेरा पक्षकार को अपने कार्य के सिलसिले अक्सर बाहर आना-जाना रहता है और मेरे पक्षकार को ऐसा ज्ञात हुआ कि आप क्रमांक 1, माता कनीज बेगम जो कि काफी वृद्ध है, के सोचने-समझने की शक्ति कम होने का फायदा उठाकर धोखे से उक्त मकान अपने नाम पर अथवा अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय या किसी अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकते है, जिसका कि आपको कोई विधिक अधिकार नहीं है।

अत: उक्त जाहिर सूचना के माध्यम से आप विपक्षी क्रमांक 1 व 2 को सूचित किया जाता है कि उक्त मकान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से अन्तरण का माता, श्रीमती कनीज बेगम पति मरहूम एहमद खान से कोई व्यवहार या लेख निश्पादित न करें और न ही करावें, यदि कियी जाता है, तो मेरे पक्षकार के स्वत्व व इस जाहिर सूचना के प्रकाश में वह समस्त व्यवहार प्रभावशुन्य व अवैध माता जावेगा, सो सूचित हो।

दिनांक:01.07.2025

नजफ अब्बास, हाईकोर्ट एडवोकेट
भगवानपुरा चौराहा, नीमच, जिला नीमच (म.प्र.)
मो.9893789626,9977866289

सार-समाचार

कार्यशाला का आयोजन

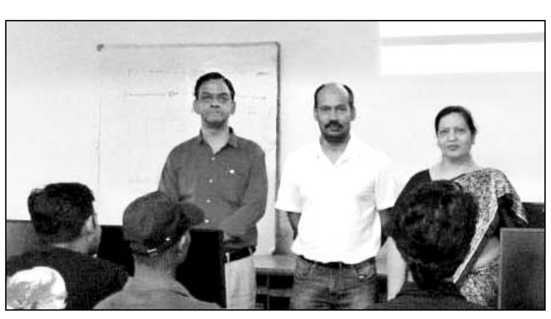

उदयपुर, (कासं)। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के संघटक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा द साइबर फोर्ट सिक्योरिंग सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विभाग की निदेशक प्रोफेसर मंजू माण्डोत ने स्वागत भाषण के साथ की, जिसमें उन्होंने मुख्य अतिथियों का परिचय कराया और डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा की बढती आवश्यकता पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर माण्डोत ने कहा कि आज के समय में साइबर सुरक्षा की जानकारी सभी के लिए जरूरी है, ताकि व्यक्तिगत और संस्थागत डेटा तथा सिस्टम्स को सुरक्षित रखा जा सके। कार्यशाला में डॉ. अरुण वैष्णव और बृजेश कुमार शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। डॉ. अरुण वैष्णव ने नेटवर्क और सिस्टम सुरक्षा के सिद्धांतों, सुरक्षा प्रोटोकॉल, एन्क्रिप्शन तकनीकों और खतरा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बृजेश कुमार शर्मा ने छात्रों को साइबर अपराध के विभिन्न परिदृश्यों से अवगत कराया और प्रायोगिक डेमो के माध्यम से साइबर हमलों की वास्तविक प्रक्रिया एवं उनसे बचाव के उपायों को समझाया। कार्यशाला के आयोजन में विभाग के संकाय सदस्यों डॉ. प्रदीप सिंह शक्तावत, डॉ. भरत सुखवाल और डॉ. दिलीप चौधरी ने समन्वयक की भूमिका निभाई और पूरे कार्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों को साइबर सुरक्षा के तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराना था, जिससे वे डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह सकें और इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित हों। विभाग ने सभी अतिथियों, समन्वयकों और सहयोगी शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुकेश नाथ, दुर्गाशंकर, मनोज यादव, डॉ. रीना मेनारिया, त्रिभुवन सिंह बमनिया, चिराग दवे उपस्थित थे।

पेसिफिक मेडिकल जर्नल का दसवें वर्ष में प्रवेश

उदयपुर, (कासं)। जनार्दन पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं पेसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित "पेसिफ़िक जर्नल ऑफ़ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज" 9 वर्ष का सफलतापूर्वक सफ़र तय कर अपने 10 वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस अवसर पर प्रधान संपादक डॉ.एस.के.वर्मा एवं संपादक रवीन्द्र बांगड़ ने दसवें वर्ष के प्रथम अंक की प्रति संस्थान चेयरमेन राहुल अग्रवाल तथा सीईओ शरद कोठारी को औपचारिक रूप से भेंट की।इस अवसर पर राहुल अग्रवाल ने बताया कि यह त्रैमासिक शोध पत्रिका पिछले नौं वर्षों से निरन्तर प्रकाशित होकर दसवें वर्ष में प्रवेश कर रही है और भारत के सभी प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के पुस्तकालयों में निःशुल्क भेजी जाती है। भविष्य में इसके स्तर को और अधिक प्रतिष्ठित करने के प्रयास जारी हैं। प्रधान संपादक डॉ.एस.के.वर्मा ने बताया कि शोध पत्रिका की इस श्रृंखला में दिसम्बर 2022 में "कोविड 19", दिसम्बर 2023 में "प्लेटलेट स्पेशल" तथा दिसम्बर 2024 में "क्रोनो न्यूट्रीशन और ट्रेस एलिमेंट्स" के विशेष अंकों का प्रकाशन भी हुआ है जो सामयिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। संपादक रवीन्द्र बांगड़ ने बताया कि अब तक प्रकाशित अंकों में ना केवल पेसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों से वरन् अमेरिका, नेपाल, नाइजीरिया, मुंबई, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं अन्य कॉलेजों से भी प्रकाशन के लिए विभिन्न विषयों पर शोध लेख प्राप्त हुए हैं जो संपादक मंडल के अथक प्रयासों का ही परिणाम है। हर्ष का विषय है कि इस अंक के साथ ही यह शोध पत्रिका आई.जी.आई फैक्टर में इंडेक्स हो चुकी है।

जेवरात व नकदी चोरी

उदयपुर, (कासं)। सवीना थाना पुलिस ने पीडिता की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ जेवरात व नकदी चुरा ले जाने का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित जन्नत बेगम पुत्र मो. उमर निवासी कुमावत कॉलोनी पावर हाउस के पास सविना ने अपने दोहित्र शाहरूख पुत्र इलियास व पोते के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया जिसमें उसने बताया कि 22 जून रात में आरोपी मेरे घर से एक सोने का हार व 15 हजार रूपये नकदी चुरा ले गए। इसका पता चलने पर पडताल कि लेकिन आरोपियों का सुराग नहीं लगने पर पुलिस को सूचना कर प्रकरण दर्ज करवाया।

प्रशिक्षण दिया

उदयपुर, (कासं)। पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में वर्ष 2025-26 का सातवां त्रिदिवसीय आवासीय पशुपालक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रशिक्षण में प्रतापगढ़, राजसमन्द, चित्तौडगढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के चयनित 30 पशुपालकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर संस्थान के उपनिदेशक डॉ. सुरेन्द्र छंगाणी ने कहा कि वर्षा के मौसम में उगे विषैले पौधों से पशुपालक अपने पशुओं को अवश्य बचाएं।

डॉ. छंगाणी के अनुसार इस मौसम में पशुओं के हरा चारा अधिक खाने से या खरपतवार के साथ कई जहरीले पौधे उगने से वो पशु के खाने में आने से पशुओं में आफरा, अपच, दस्त, पेचिस जैसे रोग होने की संभावना रहती है। संस्थान के वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. पदमा मील ने कहा कि मानसून में मक्खी, मच्छर एवं कीडे मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है जिससे डरमेटाईटिस एवं रक्त परजिवी रोग पशुओं में होने की संभावना बढ़ जाती है। पशुओं को मक्खी, मच्छरों से बचाये रखने के लिए पशु आवास कों सूखा एवं साफ-सूथरा रखें। प्रशिक्षण में डॉ. हंस कुमार जैन, डॉ. लज्जराम मीणा, डॉ. सुरेन्द्र छगाणी मौजूद रहे।

संभागीय आयुक्त ने ली फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक

वीसी के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक लेती संभागीय आयुक्त।

उदयपुर, (कासं)। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी की अध्यक्षता में गुरुवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संभाग के विभिन्न जिलों के संबंधित विभागों के अधिकारीगण ऑनलाइन जुड़े तथा फ्लैगशिप योजना की प्रगति के बारे में संभागीय आयुक्त को अवगत करवाया।

आयुक्त ने अधिकारियों को समस्त फ्लैगशिप योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं पर शासन की सीधी नजर होती है ऐसे में अधिकारी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ तय लक्ष्यों को प्राप्त करने में की दिशा में कार्य करें। बैठक के दौरान उन्होंने कृषि विभाग को संभाग के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि से होने वाले फसली खराबे के संबंध में उचित समय पर शासन को अवगत कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित योजनाओं की प्रगति के संबंध में रिपोर्टिंग सही पर हो। इस दौरान उन्होंने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए, बी एवं सी की जिलेवार प्रगति की रिपोर्ट जानी तथा एक-एक जिले से निर्धारित लक्ष्य एवं वर्तमान में प्रगति की स्थिति की जानकारी ली। वहीं संशोधित वितरण क्षेत्रीय योजना के तहत लोड मैनेजमेंट एवं ट्रिपिंग की रोकथाम हेतु विभिन्न जिलों में जीएसएस की स्थापना, नवीन फीडर निर्माण, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापना आदि की प्रगति के बारे में जानकारी ली तथा पिछड़ रहे जिलों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मिनी स्प्रिंकलर वितरण, बीज मिनीकिट वितरण आदि की भी प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किये। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सी आर देवासी समेत बिजली विभाग, उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

हिन्दुस्तान जिंक़ ने नए मानक स्थापित किए

उदयपुर/राजसमंद (कासं)। हिन्दुस्तान जिंक़ लिमिटेड ने समावेशी भाषा के लिए अपनी गाइडबुक लॉन्च कर कार्यस्थल पर समानता को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रगतिशील कदम उठाया है। यह पहल एक विविध, सम्मानजनक और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गाइडबुक को एक रणनीतिक ढांचे के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है जो विभिन्न समुदायों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है, समावेशी संचार को प्रोत्साहित करता है और संगठन के सभी स्तरों पर समान कार्यप्रणाली का सहयोग करेगी। गाइडबुक को हिन्दुस्तान जिंक़ के जिंक़्लूजन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य एलजी बीटीक्यूआईए, दिव्यांग व्यक्तियों और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और जातियों के लोगों सहित सभी रूपों में विविधता को अपनाना है। लॉन्च के अवसर पर एलीषिप पर पैनल चर्चा आयोजित की।

दवाओं से भरा ट्रक पलटा

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र देबारी हाइवे पर हनुमान मंदिर के सामने दवाओं से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटे लगी है तथा करीब एक घंटे हाइवे जाम रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूवार सवेरे उदयपुर से चित्तोड़ मार्ग की तरफ जो समय बीच रास्ते देबारी हनुमान मंदिर के पास ढलान में दवाओं से भरा ट्रक अंनयितत्रत होकर पलट गया। जिससे दवाओं के खोखे रोड़ पर बिखर गए।

'विकसित गांव से विकसित राजस्थान, विकसित भारत की दिशा में तेजी से अग्रसर भाजपा सरकार'

चातुर्मास प्रवेश के दौरान रामस्नेही पीठाधीश्वर स्वामी रामदयाल महाराज के सानिध्य में विधायक दीप्ति माहेश्वरी का स्वागत करते चातुर्मास सेवा समिति के पदाधिकारी।

राजसमंद, (निसं)। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार विकसित गांव से विकसित राजस्थान और विकसित राजस्थान से विकसित भारत के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रारम्भ की गई पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास की भावना को धरातल पर उतारने का सार्थक प्रयास है। माहेश्वरी ने बताया कि इस योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के 5000 गांवों का चयन किया गया है, जहां चिन्हित बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार एवं आजीविका गतिविधियों हेतु एक लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 3०० करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि विशेष बात यह भी है कि जो परिवार अपने आत्म प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, उन्हें भी 21 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। अब तक ऐसे 224०० परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन कर डीबीटी के माध्यम से राशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। विधायक दीप्ति ने इस ऐतिहासिक योजना को प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने और हर गांव को गरीबी से मुक्त कर विकसित राजस्थान के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को सशक्त बनाकर, आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करना और अंततः विकसित भारत के सपने को साकार करना है।

विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने आज गढबोर (चारभुजा) स्थित श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन में 32वें अंतर्राष्ट्रीय भक्ति सौरभ चातुर्मास 2०25 के पावन प्रवेश एवं पधारवाणी के अवसर पर आयोजित भव्य शोभायात्रा तथा दिव्य अमृतवाणी प्रवचन समारोह में सहभागिता की। यह आयोजन चारभुजा चातुर्मास सेवा समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामदयाल महाराज के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने रामदयाल महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा उनका प्रेरणादायक प्रवचन सुनकर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उन्होंने एक सामान्य भक्त के रूप में महिला श्रद्धालुओं के बीच बैठकर आचार्य के उपदेशों का पूर्ण मनोयोग से श्रवण किया। माहेश्वरी ने समारोह की भव्यता एवं भक्तिमय वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि सम्पूर्ण आयोजन में व्याप्त श्रद्धा, भक्ति और सेवा की दिव्य ऊर्जा ने सभी को आत्मविभोर कर दिया। उन्होंने इस अविस्मरणीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन को समाज में सद्भावना और आध्यात्मिक जागृति का प्रेरक स्त्रोत बताया। इस अवसर पर उन्होंने भक्ति सौरभ चातुर्मास में पधारे सभी समाजजनोंए मातृशक्ति एवं भक्तों को शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.)

Email:-np_ntd@yahoo.in Phone-02953-233526

क्रमांक/न.पा.नाथ/नामा./2025/8457 दिनांक : 1/07/2025

-:आपत्ती सूचना:-

एतर्थ द्वारासर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्डों का नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोईआपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्रीमती पारस कुंवर पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह निवासी, सुखाडिया नगर, नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या- 14 छ,क्षेत्रफल-1225 वर्गफिट, सुखाडिया नगर, नाथद्वारा	आम रास्ता 30 फिट	नगर पालिका की पडत भूमि तथा आम रास्ता 30 फिट	भूखण्ड संख्या-15 छ श्री बालु लाल आचार्य का	भूखण्ड संख्या-13 छ

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला- राजसमन्द (राज.)

Email:-np_ntd@yahoo.in Phone-02953-233526

क्रमांक/न.पा.नाथ/नामा./2025/8451 -:आपत्ती सूचना:- दिनांक : 1/07/2025

एतर्थ द्वारासर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्डों का नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोईआपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्री पवन सनाढय पिता श्री रमेश चन्द्र सनाढय, निवास- काबरा टॉवर सुखाडिया नगर, नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या -20 क्षेत्रफल-750 वर्गफिट, पानेरियों की मादडी,नाथद्वारा नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या- 19	भूखण्ड संख्या-21	40 फिट रोड	भूखण्ड संख्या-23
		भूखण्ड संख्या -23 क्षेत्रफल-750 वर्गफिट, पानेरियों की मादडी,नाथद्वारा नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या- 24	भूखण्ड संख्या-22	भूखण्ड संख्या-20	80 फिट रोड

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला- राजसमन्द (राज.)

Email:-np_ntd@yahoo.in Phone-02953-233526

क्रमांक/न.पा.नाथ/नामा./2025/8447 -:आपत्ती सूचना:- दिनांक : 1/07/2025

एतर्थ द्वारासर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्डों का नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोईआपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्री पवन कुमार रावल पिता श्री भंवरलाल रावल, निवास- बिच्छुमंगरी, नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या -19 क्षेत्रफल-750 वर्गफिट, पानेरियों की मादडी,नाथद्वारा नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या- 18	भूखण्ड संख्या-20	40 फिट रोड	भूखण्ड संख्या-24
		भूखण्ड संख्या -24 क्षेत्रफल-750 वर्गफिट, पानेरियों की मादडी,नाथद्वारा नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या- 25	भूखण्ड संख्या-23	भूखण्ड संख्या-19	80 फिट रोड

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

प-10 नियम 6 (7) देखिये

प्राधिकृत अधिकारी सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक:-लोसू/योजना/भूमि/2025-26/347 दिनांक : 03/07/2025

-: लोक सूचना:-

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे अंकित आवेदकों द्वारा बरूए राजस्व विभाग की जमाबन्दी के अनुसार स्वयं के स्वामित्व, खातेदारी, अधिपत्य की कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति के अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

खातेदार/आवेदक का नाम व पता	ग्राम	आ.न.	क्षेत्रफल	प्रयोजन
श्री महेन्द्र राठौड पिता श्री पुरण राठौड निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.)	डगला का खेडा	330	0.47 हैक्टेयर	आयुर्वेद सेंन्टर प्रयोजनार्थ

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्थान को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63 के अधीन पूर्वाक्त प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त समय भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी व्यक्ति/संस्था को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना पत्र आज दिनांक 03.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी की गई।

प्राधिकृत अधिकारी
सचिव
नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ (राज.)